आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

आई.सी.डी.एस. अपील वाद संख्या –75 / 2022

प्रमीला देवी

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
18.01.2023	यह अपीलवाद माननीय पटना उच्च न्यायालय, में दायर CWJC No. 1302/2021 में दिनांक 17.01.2022 को पारीत आदेश के आलोक में, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी बेतिया के द्वारा पारीत आदेश दिनांक 25.03.2020 के विरूद्ध दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के समादेश में अंकित है कि :– "The present petition is pre-mature since the petitioner has not exhausted statuary remedy of appeal. In the light of the decision of the Apex Court in the case of State of Jammu and Kashmir V/s R.K Zalpuri and others reported in AIR 2016 SC 3006 paragraph-20, the present petition is pre-mature and accordingly stands disposed of, reserving liberty to the petitioner to prefer appeal before the Appellate Authority within a period of eight weeks from the date of receipt of this order. The Appellate Authority is hereby directed to examine the delay issue in the light of Section 14 of the Limitation Act and decide the petitioner's appeal after giving due ample opportunity of hearing to the petitioner and if any private persons' right is effected, the private persons shall be heard in the matter. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को अधिग्रहण के बिन्दु पर	

WEB COPY NOT OFFICIAL

सविस्तार सुना। सुनवाई के दौरान आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि आवेदिका का चयन आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका नियुक्ति मार्गदर्शिका 2013 से हुआ है। साथ ही आवेदिका के अभ्यावेदन से स्पष्ट है कि उन्होंने दिनांक 26.05.2015 को योगदान की है, अर्थात यह साबित होता है कि आवेदिका का आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका–19 से पूर्व के विज्ञापन के आधार पर बहाली है, जो मार्गदर्शिका दिनांक 27.05.2019 से लागू है। उक्त मार्गदर्शिका में आयुक्त को पुनरीक्षण हेतु प्राधिकृत किया गया है। अतएव दिनांक 27.05.2019 के बाद चयन हेतु प्रकाशित विज्ञापन से आच्छादित मामले ही आयुक्त न्यायालय में पोषणीय है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि समेकित बाल विकास सेवाएं (आई0सी0डी0एस0) निदेशालय, बिहार पटना के पत्रांक 1780 दिनांक 05.03.2020 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि *''जिस समय चयन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन हुआ था और उस समय जो मार्गदर्शिका प्रभावी थी, उसी मार्गदर्शिका के प्रावधान उन मामलो में लागु होंगे तथा उनके चयन से संबंधित विवाद का निष्पादन भी उसी तत्कालीन प्रभावी मार्गदर्शिका के प्रावधान के अनुरूप ही किया जाएगा।''*

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्रस्तुत वाद को इस न्यायालय में पोषणीय नहीं पाते हुए पोषणीयता के बिंदु पर खारिज किया जाता है तथा आवेदिका को विभागीय पत्रांक 1780 दिनांक 05.03.2020 के आलोक में सक्षम प्राधिकार के समक्ष वाद दायर करने के निदेश के साथ इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त**

WEB COPY NOT OFFICIAL